

न्यायालय— द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद  
(समक्ष : पी0सी0आर्य)

प्रकरण क्रमांक: 06बी0 / 2014ई0दी0

संस्थापन दिनांक 12 / 11 / 2009

फाईलिंग नंबर—230303000192010

सुप्रीम इन्डस्ट्रीज लिमिटेड पी0व्ही0सी0 फिल्मस  
डिविजन इन्डस्ट्रीयल एरिया मालनपुर परगना गोहद  
जिला भिण्ड म0प्र0  
रजिस्टर्ड ऑफिस 612 रहेजा चेम्बर्स नरीमन प्वाइंट  
मुम्बई महाराष्ट्र  
द्वारा अर्जुन सिंह जनरल मैनेजर सुप्रीम इन्डस्ट्रीज  
लिमिटेड मालनपुर परगना गोहद जिला भिण्ड  
म0प्र0

.....वादी

वि रु द्ध

मैसर्स पूजा मार्केटिंग 145 आर्कोट रोड  
बालासार बवकम राशम शॉप के पास पंचायत  
ऑफिस के सामने चैन्नई तमिलनाडू 600093  
द्वारा मैनेजर पूजा मार्केटिंग

.....प्रतिवादी

वादी द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।  
प्रतिवादी द्वारा श्री दिलीप देव स्थले अधिवक्ता

—::— निर्णय —::—

(आज दिनांक 2 सितम्बर 2016 को खुले न्यायालय में पारित)

1. वादी द्वारा उपरोक्त वाद प्रतिवादी के विरुद्ध व्यवसायिक संव्यवहार के तहत सप्लाई की गयी पी.व्ही.सी. फिल्म की राशि 3,59,337 /— (तीन लाख उन्सठ हजार तीन सौ सैंतीस) रुपये एवं उस पर तय शर्त अनुसार 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज राशि की वसूली हेतु प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है, कि वादी कंपनी वर्ष 2005 में पी. व्ही.सी. फिल्मस का निर्माण व बिक्रय अपने मालनपुर स्थित प्रतिष्ठान से करती थी। यह भी स्वीकृत है, कि प्रतिवादी कंपनी चैन्नई तमिलनाडु में स्थापित होकर कारोबार करती है। यह भी स्वीकृत है, कि वादी, प्रतिवादी के मध्य पूर्व से व्यवसायिक संबंध रहे हैं और वादी कंपनी द्वारा प्रतिवादी

कंपनी को पी.व्ही.सी. फिल्म का माल सप्लाई किया गया था। यह भी निर्विवादित है, कि वर्तमान में वादी कंपनी पी.व्ही.सी. फिल्म का निर्माण व बिक्रय नहीं करती है, बल्कि पाइप एण्ड फिटिंग का उत्पादन और बिक्रय वितरण करती है।

3. वादी का वाद सारतः इस आशय का है, कि वह भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत लिमिटेड कंपनी है। उसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इण्डस्ट्रीयल एरिया मालनपुर तहसील गोहद जिला भिण्ड में उसकी पी.व्ही.सी. फिल्मों के निर्माण की उत्पादन इकाई है। जिसमें वह निर्माण करके क्रय बिक्रय का कारोबार करती है। प्रतिवादी चैन्नई तमिलनाडू में स्थित होकर व्यवसायिक प्रतिष्ठान है जो पूजा मार्केटिंग के नाम से व्यवसाय कर रही है। वादी कंपनी द्वारा प्रतिवादी को पी.व्ही.सी. फिल्मों की सप्लाई क्रेडिट के आधार पर की गयी थी। जिनके इनवॉइस कम चालान दिनांक 31/03/2007 राशि 2,03,267/- (दो लाख, तीन हजार, दो सौ सडसठ) रुपये एवं इनवॉइस कम चालान दिनांक 26/04/2007 राशि 3,33,710/- (तीन लाख तैंतीस हजार सात सौ दस) रुपये का किया गया था, कुल माल 5,36,986/- (पांच लाख छत्तीस हजार नौ सौ छियासी) रुपये का सप्लाई किया गया था। उससे पूर्व जो माल सप्लाई हुआ था, उसके क्रेडिट नोट प्रतिवादी के खाते में उल्लेखित हुये थे। जिनका विवरण वादपत्र की कण्डिका-05 में दिया गया है। जिसका कुल योग 1,77,649/- (एक लाख सतत्तर हजार छः सौ उनन्चास) रुपये है। इस प्रकार से उसके द्वारा प्रतिवादी को सप्लाई किया गया कुल माल और प्रतिवादी के खाते में जो धनराशि 1,77,649/- (एक लाख सतत्तर हजार छः सौ उनन्चास) रुपये समायोजित करने के बाद प्रतिवादी पर उनके 3,59,337/- (तीन लाख उनसठ हजार तीन सौ सैंतीस) रुपये बकाया निकलते हैं। जिसका प्रतिवादी ने भुगतान नहीं किया है। इसलिए उक्त धनराशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज राशि 1,14,851/- (एक लाख चौदह हजार आठ सौ इक्यावन) रुपये जोड़े जाने पर कुल अवशेष राशि 4,74,188/- (चार लाख चौहत्तर हजार एक सौ अठासी) रुपये निकलती है, जिस पर वसूली के लिए विधिक नोटिस दिनांक 09/06/09 को जरिये डाक प्रतिवादी को दिया गया था। उसके बावजूद प्रतिवादी द्वारा भुगतान न करने से उत्पन्न वादकारण के तहत उचित रीति से मूलधन मय ब्याज, दावा दिनांक तक की राशि 4,74,188/- (चार लाख चौहत्तर हजार एक सौ अठासी) रुपये एवं दावा दिनांक से पूर्ण अदायगी तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अन्य एवं सहायता सहित प्रतिवादी को दिलाये जाने की आज्ञाप्ति चाही गयी है।
4. प्रतिवादी की ओर से स्वीकृत तथ्यों के अलावा वादी के शेष अभिवचनों का विनिर्दिष्टतः प्रत्याख्यान करते हुए लेख किया है, कि वादी कंपनी द्वारा उसे जो माल भेजा गया था, उसमें खराब माल उनके द्वारा वादी कंपनी को सूची सहित वापिस किया गया था। जिसकी कीमत 1,53,755/- (एक लाख तिरेपन हजार सात सौ पचपन) रुपये थी, जिसे वादी कंपनी ने वापिस नहीं लिया, न ही खराब माल के संबंध में कोई कार्यवाही की, जिसके कारण उन्हें वर्ष 2007 से उक्त खराब माल

2000/- (दो हजार) रुपये मासिक किराये पर जगह लेकर सुरक्षित रखना पड़ा है, जिसकी जिम्मेदारी वादी कंपनी की है और दावा करने तक तीन वर्ष में उसे 72,000/- (बहात्तर हजार) रुपये किराया वहन करना पड़ा है, जिसे वह वादी कंपनी से पाने का पात्र है, तथा उनके द्वारा दिनांक 18/06/2008 को पंजाब नेशनल बैंक के चैक क्रमांक 347906 के द्वारा 50,000/- (पचास हजार) रुपये का भुगतान किया गया था, जिसे वादी कंपनी ने समायोजित नहीं किया है, न ही उसे उसके क्रेडिट नोट में शामिल किया है।

5. प्रतिवादी की ओर से इस आशय के अभिवचन भी किये गये हैं, कि उसके द्वारा वादी को भुगतान की गयी राशि 1,77,649/- (एक लाख सतत्तर हजार छः सौ उनन्चास) रुपये एवं दिनांक 18/06/2008 को चैक के माध्यम से भुगतान की गयी राशि 50,000/- (पचास हजार) रुपये व खराब माल की राशि 1,53,750/- (एक लाख तिरपन हजार सात सौ पचास) रुपये को समायोजित किया जाये तो वादी कंपनी उससे कोई राशि पाने की अधिकारी नहीं है। इसलिए वादी कंपनी 3,59,337/- (तीन लाख उनसठ हजार तीन सौ सैंतीस) रुपये वसूलने की पात्र नहीं है, क्योंकि कोई राशि निकलती ही नहीं है, न ही कोई ब्याज राशि पाने की पात्र है, बल्कि वादी कंपनी द्वारा उसके साथ वर्ष-2003 से व्यवसाय किया जा रहा है, किंतु उसे वादी ने ई-1 फार्म (सेल्स ट्रंजिट) नहीं भेजा जिसके कारण वर्ष 2003-2004 में उसे 66,779/- (छियासठ हजार सात सौ उन्यासी) रुपये का अतिरिक्त बिक्रयकर एवं उस पर पैनल्टी जमा करने का नोटिस मिला था, आगे के वर्षों में वर्ष 2006-2007 तक भी उक्त फार्म वादी कंपनी द्वारा नहीं भेजे जाने से उसे वर्ष 2004-2005 में 34,705/- (चौतीस हजार सात सौ पांच) रुपये, वर्ष 2005-2006 में 1,53,383/- (एक लाख तिरपन हजार तीन सौ तिरासी) रुपये एवं वर्ष 2006-2007 में 1,15,303/- (एक लाख पंद्रह हजार तीन सौ तीन) रुपये का बिक्रयकर चुकाना पड़ा और खराब माल को गोदाम में रखने का किराया भी उसे चुकाना पड़ा, जिन सब की राशि सात लाख से अधिक होती है। इसलिए भी वादी कोई वसूली का अधिकारी नहीं है और वादी कंपनी को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है, बल्कि वादी कंपनी ने वास्तविक तथ्यों को छिपाकर असत्य तथ्यों के आधार पर उक्त वाद प्रस्तुत किया है और उसका वाद इस न्यायालय के श्रवण अधिकार के अंतर्गत भी नहीं आता है, इसलिए वाद सव्यय निरस्त किया जाये।

6. उभय पक्षों के अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नलिखित वादप्रश्नों की रचना की गयी है, जिनके समक्ष मेरे द्वारा निकाले जा रहे निष्कर्ष अंकित किये जा रहे हैं।

#### वादप्रश्न

#### निष्कर्ष

1	क्या वादी प्रतिवादी से रुपये 4,74,188/- (चार लाख चौहत्तर हजार एक सौ अठासी) रुपये की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है ?	आंशिक रूप से प्रमाणित
---	---	-----------------------

2	क्या वादी प्रतिवादी से उक्त राशि पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है ? यदि हां तो किस दर से ?	पूर्ण रूप से प्रमाणित
3	क्या इस न्यायालय को वर्तमान दावे की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है ?	आदेश दिनांक 13/01/2016 के अनुसार प्रमाणित
4	सहायता एवं व्यय	निर्णय कण्डिका 30 अनुसार

### सकारण निष्कर्ष

#### वादप्रश्न क्रमांक-1 एवं 2 का निराकरण

7. उपरोक्त दोनों वादप्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एवं सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।
8. इस संबंध में वादी कंपनी की ओर से नियुक्त मुख्त्यारआम सीनियर मैनेजर कॉमर्सियल दिलीप करवा (वा0सा0-1) और एकाउण्ट ऑफीसर सुनील कुरेचिया (वा0सा0-2) का अभिसाक्ष्य आया है, दिलीप करवा (वा0सा0-1) ने अपने मुख्य परीक्षण में वादपत्र के अभिवचनों का ही दोहराव किया है तथा प्र0पी0-1 लगायत प्र0पी0-13 के दस्तावेज प्रदर्शित करते हुए, अपने प्रतिपरीक्षण में वादी कंपनी में वर्ष-1994 से कार्यरत होना, वर्तमान में सीनियर मैनेजर कॉमर्सियल के पद पर होना बताते हुए, अर्जुन सिंह के द्वारा वर्ष 2010-11 में कंपनी छोड़कर चले जाना बताया है। इस बात से इन्कार किया है, कि उसे कंपनी द्वारा न्यायालयीन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नियुक्त नहीं किया गया है। वादी, प्रतिवादी कंपनी के मध्य कब से संव्यवहार चल रहा है, इसकी उसे जानकारी नहीं है, उसके अंतर्गत क्रय-बिक्रय, कानूनी विवाद, एकाउण्ट, फाइनेंस आदि के कार्य आते हैं। प्रतिवादी को क्रेडिट के आधार पर पी. वी.सी फिल्मों की सप्लाई की गयी थी। यह भी स्वीकार किया है, कि उनकी कंपनी का ब्रांच ऑफिस चैन्नई में भी है, लेकिन इस बात से इन्कार किया है, कि प्रतिवादी कंपनी ने डिफेक्टिव माल के संबंध में कोई शिकायत की थी और शिकायत के बावजूद डिफेक्टिव माल (खराब माल) वापिस नहीं लिया।
9. वा0सा0-01 ने पैरा-15 में इस बारे में याद न होना बताया है, कि माल ई-1 फार्म, सेल्स फार्म के तहत दिया गया था, या नहीं और उसे यह भी जानकारी नहीं है, कि प्रतिवादी कंपनी ने वादी कंपनी को ई-1 फार्म जारी करने के लिए कहा था और उसके बाद जारी नहीं किया गया, जिसके कारण प्रतिवादी कंपनी को अतिरिक्त सेलटैक्स की राशि सेलटैक्स विभाग में जमा करनी पड़ी। चैक के माध्यम से 50,000/- (पचास हजार) रुपये के भुगतान से उक्त साक्षी ने पैरा-16 में इन्कार करते हुए, प्रकरण में जो स्टेटमेंट ऑफ एकाउण्ट्स पेश करना



बताया है, वह दिनांक 01/04/2007 से 31/03/2008 तक का है। उसके पूर्व और पश्चात के संव्यवहार की उसे जानकारी न होना, उसने पैरा-17 में बताया है और यह कहा है, कि प्रतिवादी कंपनी को सप्लाई किये गये माल के संबंध में संपूर्ण एकाउण्ट स्टेटमेंट पेश किये गये है। प्रतिवादी कंपनी द्वारा दिनांक 01/04/2008 के बाद कोई भुगतान नहीं किया गया है और प्र0पी0-08 के एकाउण्ट स्टेटमेंट के अलावा और कोई लेन-देन शेष नहीं है, तथा दिनांक 31/03/2007 को इनवॉइस क्रमांक-4763 की राशि प्रारंभिक शेष (ओपनिंग बैलेंस) में शामिल है, तथा इस बात को स्वीकार किया है, कि दिनांक 31/03/2007 को इनवॉइस कम चालान की राशि 2,03,267/- (दो लाख तीन हजार दो सौ सडसठ) रुपये का स्टेटमेंट प्रकरण में पेश नहीं है। जिसके संबंध में साक्षी का स्पष्टीकरण है, कि जो प्रारंभिक शेष (ओपनिंग बैलेंस) बताया है, उसमें उक्त राशि सम्मिलत है, उसके पूर्व के स्टेटमेंट प्रकरण में पेश नहीं किया जा सकता है। इस बात से इन्कार किया है, कि दिनांक 31/03/2008 के बाद का स्टेटमेंट जान-बूझकर पेश नहीं किया गया है, क्योंकि प्रतिवादी कंपनी द्वारा भुगतान किया जा चुका है। इस बात को अवश्य स्वीकार किया है, कि प्रतिवादी कंपनी ने हमेशा चैक के माध्यम से भुगतान किया है, इस बात से इन्कार किया है, कि रिजेक्ट माल को वापिस न लेने के कारण प्रतिवादी कंपनी ने भुगतान रोका था।

10. एकाउण्ट के संबंध में सुनील कुरेचिया (वा0सा0-02) ने मुख्य परीक्षण में तो वा0सा0-01 की तरह ही साक्ष्य दिया और प्र0पी0-08 के एकाउण्ट स्टेटमेंट को कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से तैयार होना बताते हुए, उसके प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर बताये है, तथा अगस्त, सितम्बर 2007 से वादी कंपनी में कार्यरत होना बताते हुए, पूर्व के संव्यवहारों की निजी जानकारी न होना कहा है और इस बात को स्वीकार किया है, कि कम्प्यूटर में जो एकाउण्ट रहते है वह सभी एक ही जगह रहते है। उसने भी दिनांक 31/03/2008 के बाद प्रतिवादी कंपनी द्वारा कोई भुगतान किये जाने से इन्कार किया है और यह कहा है, कि यदि उक्त दिनांक के बाद प्रतिवादी कंपनी ने भुगतान किया होता, तो प्र0पी0-08 में अवश्य उल्लेख किया जाता।

11. प्र0सा0-02 ने यह भी पैरा-04 में बताया है, कि वादी कंपनी ने तीन-चार वर्ष से पी.व्ही.सी. फिल्म का निर्माण बन्द कर दिया है और पी. व्ही.सी. पाइप का निर्माण करने लगी है। प्रतिवादी कंपनी से संव्यवहार पी.व्ही.सी. फिल्म का था, पाइप का नहीं था। पैरा-05 में यह कहा है, कि उनकी कंपनी का सॉफ्टवेयर पुराना है, जिसमें पी.व्ही.सी. के स्थान पर पाइप एण्ड फिटिंग डिवीजन डाला गया है, इसलिए प्र0पी0-08 के एकाउण्टस स्टेटमेंट में पाइप एण्ड फिटिंग डिवीजन लिखकर आया है। सॉफ्टवेयर में कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। वा0सा0-01 की तरह उसने भी दिनांक 01/04/07 के पूर्व का स्टेटमेंट पेश न होना और प्रारंभिक शेष (ओपनिंग बैलेंस) से अंतिम बैलेंस तक के स्टेटमेंट पेश करना बताया है और ओपनिंग बैलेंस में ही दिनांक 31/03/2007 का इनवॉइस शामिल है। ई-1 फार्म के संबंध में उसे जानकारी नहीं है।

12. इस संबंध में प्रतिवादी कंपनी की ओर से सुरेन्द्र टाटिया ने (प्र0सा0-1) के रूप में अभिसाक्ष्य देते हुए, वादोत्तर के अभिवचनों की तरह ही मुख्य परीक्षण के अभिसाक्ष्य में मूलतः जिन बिन्दुओं का उल्लेख किया है, उसमें यह बताया गया है, कि वादी कंपनी द्वारा प्रतिवादी को क्रेडिट के आधार पर पी.व्ही.सी. फिल्म का माल सप्लाई किया गया था। संव्यवहार वर्ष 2003 से चल रहा है, जो माल भेजा गया था, उसमें कुछ माल रिजेक्ट हुआ था, जिसकी कीमत 1,53,755/- (एक लाख तिरपन हजार सात सौ पचपन) रुपये थी, जिसे वादी कंपनी को वापिस किया था, किंतु वादी कंपनी ने वापिस नहीं लिया और ई-1 फार्म की मांग करने पर भी जारी नहीं किया, जिसके कारण रिजेक्ट माल सुरक्षित रखने के लिए 2000/- (दो हजार) रुपये मासिक भाड़े पर गोदाम लेना पड़ा, तथा ई-1 फार्म जारी न करने से उसे बिक्रयकर विभाग को अतिरिक्त बिक्रयकर का भुगतान करना पड़ा तथा वादी कंपनी ने उनके द्वारा दिनांक 18/06/2008 को चैक क्रमांक 34590 के माध्यम से 50,000/- (पचास हजार) रुपये की राशि का भुगतान किया था, उसे स्टेटमेंट में शामिल नहीं किया, न ही समायोजित किया, जिसके कारण प्रतिवादी कंपनी को नुकसान हुआ है और प्रतिवादी द्वारा वादी कंपनी को जो राशि भुगतान की गयी है, वह राशि अतिरिक्त सेलटैक्स की राशि, रिजेक्ट माल की राशि और रिजेक्ट माल को सुरक्षित रखने में व्यय किये गये भाड़े की राशि को यदि समायोजित किया जाये तो वादी कंपनी पर अधिक राशि पहुंच गयी है और करीब 7,00,000/- (सात लाख) रुपये का प्रतिवादी कंपनी को नुकसान हुआ है, इसलिए वादी कंपनी कोई राशि पाने की पात्र नहीं है और वादी कंपनी के द्वारा गलत स्टेटमेंट पेश किये गये हैं। उक्त साक्षी ने प्र0डी0-01 लगायत प्र0डी0-07 के दस्तावेज पेश करते हुए प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है, कि उनकी कंपनी में ऐसा कोई रजिस्टर नहीं है, जिसमें खराब माल की प्रविष्टि की जाती हो।
13. प्र0सा0-01 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में रिजेक्ट माल की सूची प्र0डी0-01 उसके कर्मचारी मिस्टर राव द्वारा लेख किया जाना बताया है, जिस पर राव के कोई हस्ताक्षर न होना भी स्वीकार किया है, यह भी स्वीकार किया है, कि प्र0डी0-01 में ऐसी कोई प्रविष्टि नहीं है, जिससे यह दर्शित हो, कि वादी को माल भेजा गया हो। प्र0डी0-01 पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर बताये हैं, तथा उसे यह पता नहीं है, कि रिजेक्ट माल की जानकारी उसे किस दिनांक को मिली। उसने यह भी कहा है, कि खराब माल के संबंध में अभिभाषक के माध्यम से कोई नोटिस वादी कंपनी को नहीं दिया गया था। प्र0डी0-01 पर प्रतिवादी कंपनी की मुद्रा करने वाले एकाउण्टेंट की मुद्रा भी अंकित नहीं है। पैरा-09 में इस बात से उसने इन्कार किया है, कि प्र0डी0-01 को फर्जी रूप से तैयार किया गया है, ताकि वादी कंपनी के माल को रिजेक्ट बताया जा सके। पैरा-10 में यह भी कहा है, कि वादी ने जिस माल के आधार पर दावा किया है, वह वर्ष 2007 में सप्लाई किया गया था।
14. प्र0सा0-01 ने अपने अभिसाक्ष्य में दस्तावेजों के संबंध में पैरा-10 में यह कहा है, कि प्र0डी0-05 का नोटिस प्रीअसिस्मेंट वर्ष 2003-04 का होकर दिनांक 14/03/2005 का है और प्र0डी0-02 का नोटिस उसे

16/11/2007 को मिला था, जिसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, कि वादी कंपनी द्वारा सप्लाई किये गये माल के साथ ई-1 फार्म न भेजे जाने के कारण संबंधित राशि का भुगतान प्रतिवादी कंपनी को करना है। जिसके संबंध में उसका यह स्पष्टीकरण है, कि वादी कंपनी से ही ई-1 फार्म आना था, अन्य किसी कंपनी से व्यापार नहीं था। प्र0डी0-02 श्रीजी फार्मा प्राईवेट लिमिटेड का ए से ए भाग में विवरण होना उसने स्वीकार किया है और प्र0डी0-02 के पृष्ठ भाग पर पेंसिल से केलक्यूलेशन लेख होना भी उसने स्वीकार किया है। चैक के माध्यम से 50,000/-(पचास हजार) रुपये की राशि के भुगतान के संबंध में पैरा-11 में उसने यह स्वीकार किया है, कि उसके संबंध में ऐसा कोई प्रमाणीकरण पेश नहीं किया है, जिससे वादी कंपनी को भुगतान होना दर्शित हो। यह भी स्वीकार किया है, कि उसने अपनी कंपनी का लेजर भी प्रकरण में पेश नहीं किया है, जिससे यह दर्शित हो, कि वादी कंपनी को कब-कब क्या भुगतान किया गया है। उसका यह कहना है, कि वादी कंपनी का कोई भी चैक डारेक्ट बैंक में जमा नहीं किया जाता था, बल्कि अधिकृत अधिकारी बेनी वर्गिस जो तमिलनाडू के हेड थे, उनकी कंपनी से लेकर जाते थे, चैक का भुगतान उनकी कंपनी के खाते से कटता था, उसके संबंध में भी कोई स्टेटमेंट पेश नहीं किया, जिससे 50,000/-(पचास हजार) रुपये का भुगतान वादी कंपनी को हुआ हो।

15. प्र0सा0-01 के द्वारा रिजेक्ट माल को किराये से गोदाम लेकर रखने के संबंध में पैरा-11 में यह स्वीकार किया है, कि उसने प्रकरण में खराब माल को 2,000/-(दो हजार) रुपये मासिक भाडे पर रखने के संबंध में कोई रशीद पेश नहीं की है, तथा अतिरिक्त सेलटैक्स के संबंध में कोई पैनल्टी की रशीद पेश न होने बावत उसका यह कहना है, कि प्र0डी0-02 के संबंध में कोई पैनल्टी नहीं दी है, इसलिए रशीद नहीं है और उसके संबंध में अभी असिस्मेंट लंबित है और यह भी स्वीकार किया है, कि जो नुकसानी उनके द्वारा बतायी गयी है, उसके संबंध में कोई वसूली का दावा नहीं किया है।

16. प्र0सा0-01 ने पैरा-12 में महत्वपूर्ण स्वीकारोक्तियां करते हुए यह कहा है, कि वादी कंपनी द्वारा उनकी कंपनी को दावे में वर्णित अनुसार 5,36,986/-(पांच लाख छत्तीस हजार नौ सौ छियासी) रुपये का माल सप्लाई किया था, तथा वादी कंपनी द्वारा 1,77,649/-(एक लाख सतत्तर हजार छः सौ उनन्चास) रुपये पूर्व क्रेडिट नोट, स्पेशल डिस्काउंट बैलेंस पेमेंट, ओ.आर.सी. कमीशन को सप्लाई किये गये माल में से कम किया गया था। यह भी स्वीकार किया है, कि वादी कंपनी का उनकी कंपनी पर 3,59,365/-(तीन लाख उन्सठ हजार तीन सौ पैंसठ) रुपये बकाया निकलता है, लेकिन वह यह कहता है, कि 50,000/-(पचास हजार) रुपये का समायोजन नहीं किया गया है। 12 प्रतिशत ब्याज के रूप में 1,74,188/-(एक लाख चौहत्तर हजार एक सौ अठासी) रुपये दावा दिनांक तक निकलता हो, तो वह सही नहीं है और उसका यह भी कहना है, कि यदि वादी कंपनी ई-1 फार्म दे देती और 50,000/-(पचास हजार) रुपये को समायोजित कर लेती तो वादी कंपनी का जो शेष रुपया निकलता, वह उसे अदा करता।

17. उक्त दोनों वादप्रश्नों के संबंध में वादी की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने अंतिम मौखिक तर्कों में मूलतः वादपत्र में लिये गये आधारों के अनुरूप तर्क किया है और इस बात पर बल दिया है, कि वादी की ओर से जो अभिवचन किये गये वे मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित होते हैं तथा प्रतिवादी साक्षी ने भी स्वीकारोक्ति की है। वादी कंपनी के दस्तावेज उचित रूप से संधारित होकर कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया से तैयार हुये हैं, जबकि प्रतिवादी की ओर से जो दस्तावेज पेश किये गये हैं, उनमें से प्र0डी0-01 हस्तलिखित है, जो साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं है, क्योंकि उसके लेखक को पेश नहीं किया गया है, न ही वह मूल से तैयार होना दर्शित है तथा प्र0डी0-06 एवं प्र0डी0-07 ई-मेल की प्रतियाँ भी ग्राह्य योग्य नहीं हैं, क्योंकि उनका कोई प्रमाणीकरण नहीं है और वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-65-बी के अंतर्गत साबित नहीं है तथा प्रतिवादी ने 50,000/- (पचास हजार) रुपये चैक से भुगतान करने का प्रमाण नहीं दिया है, खराब माल का कोई विवरण नहीं है, न ही नोटिस है, न ही उसे किराये से गोदाम लेकर रखने का कोई प्रमाण है, ई-1 फार्म के संबंध में प्रतिवादी द्वारा कोई पैनल्टी जमा नहीं की गयी है, न ही उसके आधार पर वादी की राशि को रोका जा सकता है, क्योंकि प्रतिवादी कंपनी से हुये संव्यवहार क्रेडिट के आधार पर था। इसलिए प्रतिवादी ने जो खण्डन के आधार लिये हैं, वे बेबुनियाद हैं और वादी ने समुचित विवरण दिया है, जिससे वादी का वाद प्रमाणित है। प्रतिवादी ने कोई लेजर भी पेश नहीं किया है, तथा ई-1 फार्म न देने पर सेलटैक्स विभाग तीन साल बाद नोटिस देता है और प्र0डी0-5 का सेलटैक्स विभाग का जो नोटिस है, वह वर्ष 2003-2004 के संव्यवहार बावत है। जबकि जिस माल पर से राशि का विवाद है, वह संव्यवहार वर्ष 2007 का है। प्र0डी0-02 में माल बावत कोई उल्लेख भी नहीं है, इसलिए वाद डिक्री किया जाकर, अवशेष राशि और ब्याज प्रतिवादी से दिलाया जावे।
18. प्रतिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक व लिखित तर्कों में मूलतः वदोत्तर में लिये गये आधारों की पुनरावृत्ति करते हुए मूलतः इस बात पर बल दिया है, कि वादी कंपनी से प्रतिवादी का संव्यवहार वर्ष 2003-2004 से चल रहा था। वादी कंपनी ने जो स्टेटमेंट पेश किया है, वह वर्ष 2007 का है, संपूर्ण संव्यवहारों का स्टेटमेंट तथ्यों को छिपाने के आशय से पेश नहीं किया गया है, तथा जो स्टेटमेंट पेश किया है, उसमें 31/03/2007 के इनवॉइस कम चालान की राशि को नहीं दर्शाया गया है तथा चैक के माध्यम से जो 50,000/- (पचास हजार) रुपये की राशि का भुगतान किया गया, उसे समायोजित नहीं किया गया है, रिजेक्ट माल की राशि 1,53,755/- (एक लाख तिरपन हजार सात सौ पचपन) रुपये को भी नहीं दर्शाया गया है और जो माल सप्लाई किया गया था। उसके साथ ई-1 फार्म वादी ने जारी नहीं किया, जिससे सेलटैक्स विभाग द्वारा पैनल्टी लगायी गयी है, जिसके संबंध में दस्तावेज पेश किया गया है तथा वादी कंपनी के इन्चार्ज अर्जुनसिंह को भी ई-1 फार्म के संबंध में प्र0डी0-06 का मेल किया गया था और वादी कंपनी के तमिलनाडू के बेनी वर्गीस के द्वारा प्र0डी0-07 का मेल



प्रतिवादी को किया गया था। जिससे यह स्पष्ट है, कि ई-1 फार्म वादी द्वारा जारी नहीं किया गया, जिसके कारण प्रतिवादी कंपनी को अतिरिक्त सेलटैक्स भुगतान करना पड़ रहा है।

19. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत किये गये प्र0डी0-8 के स्टेटमेंट को भी संदिग्ध बताया गया है, क्योंकि उसमें पी.व्ही.सी. फिल्म डिवीजन का उल्लेख न होकर पाइप एण्ड फिटिंग डिवीजन का उल्लेख है, तथा वादी के एकाउण्टेंट को जानकारी नहीं है, वह वर्ष 2007 से सेवा में आया है। वादी कंपनी यदि ई-1 फार्म जारी कर देती, रिजेक्ट माल वापिस ले लेती तो प्रतिवादी को नुकसान नहीं होता, रिजेक्ट माल को रखने में भी प्रतिवादी को किराया वहन करना पड़ रहा है, जिसकी जिम्मेदारी वादी कंपनी की है और संपूर्ण स्टेटमेंट पेश न करने से वादी के वाद आधार खण्डित होते हैं। प्रतिवादी कंपनी को वादी कंपनी के व्यवहार के कारण करीब 7,00,000/- (सात लाख) रुपये का नुकसान हुआ है, इसलिए वादी कंपनी कोई राशि वसूलने की अधिकारी नहीं है और वाद सव्यय निरस्त किया जाये।
20. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य जो तथ्य स्वीकार हुए हैं, उसे देखते हुए वादी की ओर से प्रस्तुत किये गये प्र0पी0-01 लगायत प्र0पी0-06 के दस्तावेजों के अतिरिक्त विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्र0पी0-01 वादी कंपनी का पंजीयन प्रमाणपत्र, प्र0पी0-02 मुख्तारनामा, प्र0पी0-03 एवं प्र0पी0-05 इनवॉइस कम चालान जिसमें सप्लाई माल का उल्लेख है और प्र0पी0-04 एवं प्र0पी0-06 सप्लाई की बिल्टियां ट्रांसपोर्टर की है, क्योंकि प्र0सा0-01 ने वादी कंपनी द्वारा 5,35,986/- (पांच लाख पैंतीस हजार नौ सौ छियासी) रुपये के माल सप्लाई को स्वीकार किया है। प्र0पी0-07 प्रतिवादी कंपनी का आउटस्टैंडिंग बिल है जिसमें दिनांक 31/03/07 एवं 26/04/07 को सप्लाई माल का उल्लेख करते हुए 12 प्रतिशत ब्याज राशि का उल्लेख होना और दिनांक 30/09/09 को अवशेष राशि 4,74,188/- (चार लाख चौहत्तर हजार एक सौ अठासी) रुपये को दर्शाया गया है, जो कम्प्यूटरीकृत है, जिसे वा0सा0-01 ने वादी कंपनी के अधिकृत अधिकारी की हैसियत से प्रमाणित किया है, प्र0पी0-09 दावा पूर्व दिये गये विधिक नोटिस, उसकी डाक रशीद प्र0पी0-10 और प्र0पी0-11 पावती के संबंध में भी विवाद की स्थिति नहीं है, इसलिए उसके संबंध में भी अलग निष्कर्ष दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।
21. प्र0पी0-08 एकाउण्ट स्टेटमेंट जिस पर प्रतिवादी की घोर आपत्ति आयी है, वह दो पृष्ठ में है, कम्प्यूटरीकृत है। जिसे वा0सा0-01 ने वादी कंपनी के अधिकृत अधिकारी की हैसियत से हस्ताक्षर कर प्रमाणित किया है। एकाउण्टेंट वा0सा0-02 ने भी उस पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर बताते हुए, कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से तैयार होना बताया है। जिसने इस बात का भी स्पष्टीकरण दिया है, कि वादी कंपनी पहले पी.व्ही.सी. फिल्म के निर्माण का उत्पादन व बिक्रय करती थी, जो तीन-चार साल से बंद कर दिया है और पी.व्ही.सी. पाइप का उत्पादन

और बिक्रय कर रही है। इस कारण स्टेटमेंट में पाइप एण्ड फिटिंग डिवीजन का उल्लेख आया है, क्योंकि सॉफ्टवेयर पुराना ही है, इसे खण्डित नहीं किया गया है। प्र0पी0-08 में वर्ष 2007 के संव्यवहार को दर्शाया गया है और उसमें प्रारंभिक शेष (ओपनिंग बैलेंस) का भी उल्लेख किया गया है, इस बात की स्पष्ट मौखिक साक्ष्य दी गयी है, कि उसमें दिनांक 31/03/2007 का इनवॉइस कम चालान की राशि 2,03,267/- (दो लाख तीन हजार दौ सौ सडसठ) रुपये शामिल है, जिसे खण्डित नहीं किया गया है। प्रारंभिक शेष (ओपनिंग बैलेंस) 1,45,967/- (एक लाख पैतालीस हजार नौ सौ सडसठ) रुपये प्र0पी0-08 में दर्शाये है, अंतिम शेष 3,59,737/- (तीन लाख उन्सठ हजार सात सौ सैंतीस) रुपये 31 मार्च 2008 तक दर्शाये गये है, प्र0पी0-08 वा0सा0-02 द्वारा निकाला जाना उक्त दस्तावेज के अंत में अंकित है और उसमें प्र0पी0-08 को कम्प्यूटर से निकाले जाने का समय और दिनांक का भी उल्लेख है, ऐसे में प्र0पी0-08 का संदिग्ध दस्तावेज होना नहीं माना जा सकता है और इस संबंध में प्र0सा0-01 का पैरा-12 महत्वपूर्ण है, जिसमें उसने 3,59,365/- (तीन लाख उन्सठ हजार तीन सौ पैसठ) रुपये वादी के बकाया निकलना स्वीकार किया है और साक्ष्य विधान की धारा-58 में यह उपबंधित करती है, कि यदि कोई तथ्य स्वीकार कर लिया जाता है तो स्वीकृत तथ्य प्रमाणित करने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **खतचरा ब्रदर्स विरुद्ध मेरी मॉल 1999 भाग-1 एम0पी0डब्लू0एन0 (सुप्रीम कोर्ट) शोर्टनोट 189** अवलोकनीय है। ऐसे में भी प्र0पी0-08 की पुष्टि स्वयं प्रतिवादी की साक्ष्य से हो रही है। इसलिए उसमें पाइप एण्ड फिटिंग डिवीजन का उल्लेख आने से कोई संदेह नहीं माना जा सकता है।

22. प्र0पी0-12 एवं प्र0पी0-13 सप्लाई किये गये माल के इनवॉइसों से संबंधित आर्डर कन्फर्मेशन है, जिनके संबंध में प्रतिवादी की ओर से खण्डन में कोई साक्ष्य नहीं है। हालांकि उन पर पूर्व इन्चार्ज अर्जुनसिंह एवं शेखावत के हस्ताक्षर हैं जिनके संबंध में वा0सा0-01 की पैरा-11 में इस आशय की साक्ष्य भी है, कि वह उक्त दोनों के हस्ताक्षर को पहचानता है, क्योंकि उन्हें पढते लिखते देखा है और अर्जुनसिंह द्वारा काम छोड़ दिये जाने की साक्ष्य भी दी है। प्रतिवादी की ओर से वादी कंपनी द्वारा जो माल सप्लाई किया गया उसके बारे में कोई खण्डन नहीं किया गया है, मूल खण्डन जिन बिन्दुओं पर है उनमें प्रथम बिन्दु ई-1 फार्म के जारी न होने का, दूसरा बिन्दु चैक द्वारा 50,000/- (पचास हजार) रुपये की राशि का भुगतान दिनांक 18/06/2008 को करने पर समायोजन न करने तथा भेजे गये माल में से 1,53,755/- (एक लाख तिरेपन हजार सात सौ पचपन) रुपये का माल खराब निकलने, उसे वापिस प्राप्त न करने पर, उसके रख-रखाव में किराया वहन करने का लिया गया है। किंतु उक्त सभी आधार प्रतिवादी ने अपने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से स्थापित ही नहीं किये हैं। जहां तक चैक के माध्यम से 50,000/- (पचास हजार) रुपये के भुगतान का प्रश्न है, प्रतिवादी द्वारा सभी भुगतान चैक के माध्यम से ही करना बताया है। ऐसे में प्रतिवादी

अपनी कंपनी की खाताबही, लेजर, एकाउण्ट्स आदि को पेश करके या जिस बैंक खाते के माध्यम से राशि भुगतान की गयी, उस बैंक खाते की विवरणी संबंधित बैंक से सत्यापित कर पेश कर सकती थी, जिससे बैंकों के माध्यम से भुगतान की गयी राशि की पुष्टि होती, किंतु ऐसा नहीं किया गया है। इसलिए 50,000/- (पचास हजार) रुपये का समायोजन न होना का उठाया गया बिन्दु अपरिपक्व है।

23. जहां तक यह प्रश्न है, कि संव्यवहार 2003-2004 से चल रहा था और शुरू से लेकर अंत तक के स्टेटमेंट वादी ने पेश नहीं किये। यह आधार भी इसलिए महत्व नहीं रखता है, क्योंकि स्वयं प्र0सा0-01 ने पैरा-10 में यह स्वीकार किया है, कि वादी द्वारा जिस माल पर से दावा किया गया है वह वर्ष 2007 में सप्लाई किया गया माल है ऐसे में पूर्व के विवरण को न पेश करने का कोई प्रतिकूल प्रभाव वादी के मामले पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस संव्यवहार की राशि वसूली का दावा है, उसी संव्यवहार के संदर्भ में दस्तावेजी साक्ष्य को देखा जाता है।

24. प्रतिवादी कंपनी का दूसरा खण्डन का आधार कि भेजे गये माल में से 1,53,755/- (एक लाख तिरपन हजार सात सौ पचपन) रुपये कीमत का माल खराब निकला जिसे वादी कंपनी ने वापिस नहीं लिया, जिसके कारण उसे सुरक्षित रखने के लिए 2000/- (दो हजार) रुपये मासिक किराये पर गोदाम लेना पड़ा और उसकी राशि अनावश्यक वहन करनी पड़ रही है, इस संबंध में न तो कोई दस्तावेज है, न ही कोई मौखिक साक्ष्य सुदृढ़ रूप से आयी है, कि कहां गोदाम लिया गया, कौन सा माल खराब निकला, खराब माल के संबंध में प्रतिवादी की ओर से कोई नोटिस वादी को न दिया जाना प्र0सा0-01 के पैरा-09 से स्पष्ट होता है, इस संबंध में प्र0डी0-01 का दस्तावेज प्रतिवादी द्वारा पेश किया गया है जिसकी वैधानिकता निर्णय के स्तर पर निराकृत किये जाने हेतु सुरक्षित रखी गयी थी। गुण-दोषों पर विचार करते समय प्र0डी0-01 को विचार में लिया गया, प्र0डी0-01 हस्तलिखित है, वह किस मूल दस्तावेज से तैयार है, इसका प्र0सा0-01 ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। हालांकि प्र0सा0-01 ने प्र0डी0-01 पर अपने हस्ताक्षर बताये हैं किंतु प्र0डी0-01 प्र0सा0-01 ने तैयार नहीं किया है, बल्कि किसी एकाउण्टेंट मिस्टर राव द्वारा तैयार किया जाना बताया है, उसका पूरा विवरण नहीं है, कि मिस्टर राव कौन है, किस हैसियत से उसने प्र0डी0-01 तैयार किया, न उसे साक्ष्य में प्रतिवादी ने पेश किया और प्र0डी0-01 में ऐसी कोई प्रविष्टि भी नहीं है, जो यह स्थापित कर सके, कि वादी को दस्तावेज भेजे हो। रिजेक्ट माल की जानकारी कब हुई यह भी प्र0सा0-01 को पता नहीं है, इसलिए प्र0सा0-01 की साक्ष्य से प्र0डी0-01 प्रमाणित नहीं हो सकता है और इस बात का प्रमाण नहीं माना जा सकता है, कि रिजेक्ट माल का ही वह दस्तावेज है और वास्तविक रूप से वह तैयार है, क्योंकि उसके तैयारकर्ता द्वारा ही उसे सिद्ध किया जा सकता है।

25. जहां तक प्र0डी0-02 के इस बिन्दु को संदर्भ में, विचार में लाया जाये तो, उसमें वादी कंपनी का उल्लेख न होकर श्रीजी फार्मा प्राइवेट

लिमिटेड का उल्लेख है और पृष्ठ भाग में जो पेंसिल से विवरण अंकित किया है, वह विधिक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि विवरण किसके द्वारा लेख किया गया इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, न किसी के हस्ताक्षर है, तथा प्र0डी0-02 को प्रतिवादी द्वारा इस आधार को स्पष्ट करने के लिए पेश किया गया था, कि वादी कंपनी द्वारा ई-1 फार्म जारी न करने से सेलटैक्स विभाग द्वारा उसे अतिरिक्त सेलटैक्स पैनल्टी के रूप में जमा करने के लिये नोटिस प्राप्त हुआ है। किंतु प्र0डी0-02 के नोटिस में वादी कंपनी के संव्यवहार के आधार पर उक्त नोटिस जारी हुआ हो, ऐसा दर्शित नहीं होता है, बल्कि प्रतिवादी के टर्नओवर के आधार पर उसे वित्तीय वर्ष 2004-2005 के करोबार के आधार पर जारी किया गया, जिसमें श्रीजी फार्मासिटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का उल्लेख अवश्य आया है, जबकि दावा वर्ष 2007 में सप्लाई माल पर आधारित है। इसलिए प्र0डी0-02 के आधार पर यह नहीं माना जा सकता, कि वादी कंपनी को ई-1 फार्म जारी न करने से प्रतिवादी कंपनी पर कोई अतिरिक्त बोझ पड़ा हो। इसलिए प्र0डी0-02 को दावे से संबंधित दस्तावेज नहीं माना जा सकता है, न ही प्र0डी0-05 के नोटिस के आधार पर प्रतिवादी को कोई लाभ प्राप्त होता है। प्र0डी0-04 वादी कंपनी के टेकओवर से संबंधित दस्तावेज है और संव्यवहार की प्रकृति को देखते हुए उनसे प्रतिवादी के पक्ष में कोई निष्कर्ष प्राप्त नहीं होता है।

26. प्र0डी0-06 एवं प्र0डी0-07 ई-मेल की प्रतियां बतायी गयी हैं, जिनके संबंध में भी ग्राह्यता का बिन्दु निष्कर्षित होना है, क्योंकि वादी की आपत्ति को सुरक्षित किया गया था। प्र0डी0-06 एवं प्र0डी0-07 कम्प्यूटरीकृत निर्गमित दस्तावेज अवश्य है, किंतु उन्हें कम्प्यूटर से किसके द्वारा निकाला गया इस आशय का कोई सत्यापन प्र0डी0-06 एवं प्र0डी0-07 में नहीं है और प्र0सा0-01 के द्वारा उन्हें कम्प्यूटर के माध्यम से स्वयं निर्गमित किया जाना नहीं बताया गया है, न ही प्र0डी0-06 एवं 07 पर प्र0सा0-01 के सत्यापन संबंधी कोई हस्ताक्षर है। इसलिए उनकी वैधानिकता सुरक्षित नहीं होती है, तथा प्र0डी-06 08/07/2008 को और प्र0डी0-07 3/07/2008 को निकाले जाने का उल्लेख है दोनों ई-1 फार्म को लेकर है, लेकिन उनमें इस बात का उल्लेख नहीं है, कि वे ई-1 फार्म किस संव्यवहार के लिए मांगे गये थे इसलिए ई-1 फार्म का लिया गया आधार प्रतिवादी कंपनी को कोई लाभ नहीं पहुंचाता है, न ही उससे वादी के दावे का खण्डन होता है। ऐसे में प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों से वादी के प्रस्तुत दस्तावेजों का खण्डन नहीं होता है इस संबंध में न्याया दृष्टांत **सियाराम विरुद्ध रामचरण 1980 भाग-1 एम.पी.जे.आर. पेज-281** यह यह प्रतिपादित है कि कोई भी दस्तावेज प्रदर्शित होने मात्र के आधार पर प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। प्रतिवादी अभी-भी यह मानती है, कि उस पर राशि अवशेष है।

27. जहां तक ई-1 फार्म का बिन्दु है उसके संबंध में प्र0सा0-01 की इस बात की भी स्वीकारोक्ति पैरा-11 में आयी है, कि ई-1 फार्म के अभाव में अभी उसने कोई पैनल्टी सेलटैक्स विभाग में जमा नहीं की है, क्योंकि प्र0डी0-02 के संबंध में अभी असिस्मेंट सेलटैक्स विभाग में लंबित



है। ऐसे में सेलटैक्स की पैनल्टी बावत अभी संबंधित विभाग में निराकरण होना शेष है। इसलिए वादी के प्रश्नगत संव्यवहार के बारे में अभी यह नहीं माना जा सकता कि वादी कंपनी के ई-1 फार्म के जारी न करने से कोई अतिरिक्त भार पड़ा है इसलिए प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के लिखित और मौखिक तर्कों से वादी के मूल दावे का खण्डन नहीं होता है।

28. प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा समुचित अवसर के पश्चात भी, अपनी ओर से सर्वोत्तम साक्ष्य पेश नहीं की गयी है। कोई भी कंपनी अपने कारोबार के संबंध में खाताबही, लेजर, केसबुक, बैंक खाते आदि संधारित करती है, क्योंकि उन्हें ऑडिट हिसाब का सेलटैक्स विभाग, इनकमटैक्स विभाग को स्टेटमेंट भेजना पड़ता है, किंतु जिस तरह से प्रतिवादी प्रकरण में अपनी स्थिति को प्रकट कर रहा है, वह एक अशिक्षित ग्रामीण की तरह है। प्रतिवादी द्वारा आवश्यक दस्तावेजों को पेश न करने से उसके विरुद्ध ही इस आशय की प्रतिकूल उपधारणा निर्मित होती है, कि प्रतिवादी कंपनी के पास वादी के संव्यवहार और दस्तावेजों का कोई खण्डन नहीं है, अन्यथा वह दस्तावेजों से करती। ऐसे में वादी की साक्ष्य प्रतिवादी की साक्ष्य के वनस्पत अधिक प्रबल है और सिविल मामले में यह मूलभूत सिद्धांत है, कि सिविल मामले का निराकरण प्रबल संभावनाओं के संतुलन के आधार पर किया जाता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **हसमत राय विरुद्ध रघुनाथ प्रसाद 1982 एम0पी0आर0सी0जे0 पेज-1** में प्रतिपादित सिद्धांत अवलोकनीय है। ऐसे में वादी के वाद आधार उपलब्ध साक्ष्य, स्वीकृत तथ्यों और परिस्थितियों से स्थापित व प्रमाणित होते हैं।

29. वादी द्वारा उक्त वाद मूलतः दिनांक 12/11/2009 को प्रस्तुत किया गया था और जो इनवॉइस कम चालान प्र0पी0-03, प्र0पी0-05 के आधार पर प्रस्तुत है तथा प्र0पी0-07 में उक्त संव्यवहार पर ब्याज दर 12 प्रतिशत उल्लेखित है। प्रतिवादी की ओर से ब्याज दर बावत विनिर्दिष्ट प्रत्याख्यान नहीं है। प्र0सा0-01 ने पैरा-11 में उक्त ब्याज दर वादी के हिसाब से बतायी है, प्रतिवादी के हिसाब से नहीं है तथा वाणिज्यिक संव्यवहार है, ऐसे में 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की मांग अनुचित नहीं मानी जा सकती है। मूल अवशेष राशि 3,59,337/- (तीन लाख उन्सठ हजार तीन सौ सैंतीस) रुपये है, जो प्रतिवादी अवशेष मानता है। ऐसे में उक्त धनराशि एवं उस पर वाद प्रस्तुति दिनांक से पूर्ण आदायगी तक 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज वादी कंपनी प्रतिवादी कंपनी से प्राप्त करने की अधिकारिणी होना प्रमाणित होता है। फलतः वादप्रश्न क्रमांक 01 आंशिक रूप से एवं वादप्रश्न क्रमांक-02 पूर्ण रूप से चाही गयी सहायता के संदर्भ में वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णित किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है, कि वादप्रश्न क्रमांक-01 में उल्लेखित राशि 4,74,188/- (चार लाख चौहत्तर हजार एक सौ अठासी) रुपये ब्याज सहित लिखी गयी है।

**वाद प्रश्न क्रमांक-04 का निराकरण**  
**सहायता एवं व्यय**

30. उक्त वादप्रश्न अनुतोष संबंधी है वादप्रश्न क्रमांक 03 आदेश दिनांक 13/01/2016 के द्वारा निर्णित कर क्षेत्राधिकार इस न्यायालय का निर्णित किया गया है। वादप्रश्न क्रमांक-01 वादी के पक्ष में आंशिक रूप से निर्णित हुआ है तथा वादप्रश्न क्रमांक-02 वादी के पक्ष में पूर्ण रूप से प्रमाणित पाते हुए, वादी कंपनी के पक्ष में और प्रतिवादी कंपनी के विरुद्ध निम्न आशय की धन वसूली आज्ञाप्ति प्रदत्त की जाती है।

(अ) प्रतिवादी कंपनी को आदेशित किया जाता है, कि वह वादी कंपनी को दो माह के भीतर मूल संव्यवहार की अवशेष राशि 3,59,337/- (तीन लाख उन्सठ हजार तीन सौ सैंतीस) रुपये एवं उस पर वाद प्रस्तुति दिनांक 12/11/09 से पूर्ण अदायगी तक 12 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित भुगतान कर रशीद प्राप्त करे। अन्यथा वादी कंपनी निष्पादन कार्यवाही के माध्यम से उक्त राशि वसूल कर सकेगी।

(ब) प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए प्रतिवादी कंपनी अपने प्रकरण व्यय के साथ-साथ वादी कंपनी का प्रकरण व्यय भी वहन करेगी, जिसमें अभिभाषक शुल्क प्रमाणित किये जाने पर या तालिका मुताबिक जो भी कम हो वह जोड़ा जाये।

तदनुसार जयपत्र (डिक्री) तैयार की जावे।

दिनांक-2 सितम्बर 2016

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व  
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड